(39)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

(म0प्र0)

R. 5118-पी/16

आवेदक की ओर से श्री हिमांशु शुक्ला एड. द्वारा पेश 3-3-16

1. उदय राज मिश्रा पिता लालमणि मिश्रा उम्र करीब 45 वर्ष
2. लालमणि मिश्रा पिता रविकरणराम मिश्रा उम्र करीब 75 वर्ष

दोनो निवासी ग्राम चकदही तहसील सेमरिया जिला रीवा (म0प्र0)

..........................निगरानीकर्तागण

बनाम

1. शासन म0प्र0 द्वारा तहसीलदार, सेमरिया जिला रीवा म0प्र0
2. श्री मती रमा देवी पत्नी तरुणेन्द्र शेखर पुत्री नन्दनी प्रसाद उम्र करीब 45 वर्ष
3. सुधीर कुमार पिता सुरेश प्रसाद
4. संजय कुमार पिता सुरेश प्रसाद
5. अमित कुमार पिता सुरेश प्रसाद 2 त 5 सभी निवासी ग्राम सिरमौर क्योटी रोड तालाब के समाने तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)
6. ब्रजबिहारी पिता सौखीलाल

निवासी ग्राम चकदही, तहसील सेमारिया जिला रीवा (म0प्र0)

................................गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुध्द तहसीलदार, सेमरिया द्वारा प्रकरण क0 01/अ5/13–14 मे पारित आदेश दिनांक 28.10.15 के विरूद्ध।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

यह कि निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:–

1- यह कि ग्राम सेदुरगौर कला 562 , हल्का देवरी, तहसील सेमारियां, जिला रीवा स्थिति भूमि खसरा न0 95/5 रकवा 1.214 हे0 का निगरानीकर्ता कमांक 1 व भूमि खसरा न0 95/4 रकवा 0.405 का निगरानीकर्ता कमांक 2 राजस्व अभिलेख दर्ज भूमिस्वामी है।

2- यह की उपरोक्त भूमि का दिनांक 22.06.13 को निगरानीकर्ता द्वारा नक्शा तरमीम करने हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे राजस्व निरीक्षक को मार्क किया गया परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके पश्चात पुनः उपराक्त आवेदन पत्र दिनांक 22.06.13 को तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.08.13 को तहसीलदार सेमरिया द्वारा उसी आवेदन पर रिर्माक लगा कर रा0नि0 को सभी बटांकधारियो को सूचना देकर, स्थल पंचनामा के साथ प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु

(39)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक R–5118–II / 16 जिला–रीवा

उदयराज मिश्रा / शासन, रमादेवी वगैरः

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री हिमांशु शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1 / अ–5 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28.10.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य